

कार्यालय- कर विभाग, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

(रामनगर जोन)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1559 की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत आने वाले आवासीय भवनों/ भूखण्डों के वार्षिक किराया मूल्य की गणना हेतु वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया के प्रति वर्गफीट किराये की न्यूनतम मासिक दर तथा भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्ग फिट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दरें, जो दिनांक-01.04.2024 से प्रभावी होंगी जो निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कक्ष सं०	पार्श्व वार्ड	24 मी० से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन			12 से 24 मी० तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन			12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन			भूखण्ड जिस पर भवन न बना हों		
			R.C.C./ R.B.C. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य निर्मित कच्चा भवन	R.C.C./ R.B.C. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य निर्मित कच्चा भवन	R.C.C./ R.B.C. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य निर्मित कच्चा भवन	24 मी० से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग	12 से 24 मी० तक चौड़ाई वाले मार्ग	12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	12	गोलाघट	1.50	0.90	0.60	1.00	0.60	0.40	1.00	0.60	0.40	0.25	0.15	0.10
2	13	रामपुर	1.30	0.80	0.55	1.20	0.70	0.45	1.10	0.65	0.40	0.25	0.15	0.10
3	48	सूजाबाद	1.40	0.85	0.60	1.15	0.70	0.45	1.00	0.55	0.40	0.25	0.15	0.10
4	65	पुराना रामनगर	1.40	0.85	0.60	1.20	0.70	0.50	1.10	0.65	0.45	0.25	0.15	0.10